(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 5086–दो/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 19–8–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 696/2000–01 अपील

1– भोला प्रसाद पुत्र यदुवँश प्रसाद ब्राहमण
2– बंशराज पुत्र राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी
दोनों निवासी ग्राम चोरमारी रूपइया टोला
तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती सरोज पुत्री जनार्दन
2– रामनरेश 3– भाईलाल पुत्रगण राजकेशर प्रसाद
4– सुश्री कमला देवी पुत्री श्रीमती सरूपिया पत्नि राजकेशर प्रसाद
5– सुश्री उमा देवी पुत्री श्रीमती सरूपिया पत्नि राजकेशर प्रसाद
सभी निवासी चोरमारी रूपइया टोला तहसील रामपुर
वाघेलान जिला सतना मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री कुवेर अग्निहोत्री)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 15–09–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 696/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–9–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम चौरमारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 182, 183 कुल किता 2 कुल रकबा 3.13 डि. का ग्राम की नामान्तरण

पॅजी के सरल कमांक 19 पर आदेश दिनांक 1-6-1985 से पक्षकारों के बीच राजस्व निरीक्षक ने बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 127/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-2001 से अपील खारिज कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक कमांक 696/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-9-2015 से अपील स्वीकार की एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 18-9-2015, अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 30-1-2001 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलाल ने आदेश दिनांक 30-1-01 से अपील समयवाह्य होना मानकर निरस्त की है । तात्पर्य यह है कि उन्होंने नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 19 पर राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 1-6-1985 से पक्षकारों के बीच की गई बटवारा कार्यवाही का गुणदोष के आधार पर परीक्षण नहीं किया है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 18-9-2015 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इसलिये निरस्त किये है क्योंकि नियमों के विपरीत एंव अधिकारिता विहीन आदेश होने पर धारा-5 म्याद अधिनियम लागू नहीं होता है और ऐसे त्रृटिपूर्ण आदेश को किसी भी Stage पर चुनौती देने पर विचार में लिया जा सकता है। भोलाप्रसाद वगैरह के पूर्वजों द्वारा श्रीमती सरोज के पूर्वजों के यहां भूमि गहन रखने का एंव 20-1-72 को मुक्त कराने का तथ्य प्रकरण में आया है। प्रकरण में विचार का विषय यह है कि क्या नामान्तरण पॅजी पर राजस्व निरीक्षक को बटवारा करने के अधिकार हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में व्यवस्था दी गई है कि नामान्तरण पॅजी पर विभाजन

की कार्यवाही नहीं की जा सकती। विभाजन कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि विभाजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर दिया जावे। परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांत्रण पॅजी पर आदेश देकर की गई बटवारा कार्यवाही नियम विरूद्ध होते हुये भी अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने ध्यान न देने में भूल की है। अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा ने प्रकरण कमांक 696/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-9-2015 में विस्तृत विवेचना करते हुये निष्कर्ष निकाले है तथा आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के आदेश दिनांक 18-9-15 में निकाले गये निष्कर्षो में किन आधारों पर हस्तक्षेप किया जावे।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 696/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-9-2015 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर